कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

पत्रांक 1926 /ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक– 06.03 2023.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषयः– जनपद–सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में 400 के0वी0 ओबरा ली0लो0 विद्युत पारेषण लाईन में प्रभावित 7.5118हे0 अरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या–एफपी/यूपी/ट्रांस/44753/2020)

सन्दर्भः– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन, कारपोरेशन लि0, गाजीपुर के कार्यालय के पत्रांक–1467/वि0प्रे0खं0–गा0/ दिनांक–22.06.2022, पत्रांक–324/वि0प्रे0ख0–गा0 दिनांक–27.02.2023, इस कार्यालय के पत्रांक–218/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–30.07.2022, पत्रांक–1714/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–04.02.2023 तथा उ0प्र0 शासन का पत्र संख्या–पी–08/81–2–2023– 800(04)/ 2023 दिनांक–27.01.2023.

महोदय,

अवगत कराना है कि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन, कारपोरेशन लि0, गाजीपुर के कार्यालय के पत्रांक–1467/वि0प्रे0खं0–गा0/ दिनांक–22.06.2022 द्वारा उपलब्ध कराया गया (400 के0वी0 ओबरा ली0लो विद्युत पारेषण लाईन के) लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक–218/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–30.07.2022 द्वारा उचित माध्यम से उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया गया। उ0प्र0 शासन द्वारा प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त अपने पत्र संख्या–पी–08/81–2–2023–800(04)/2023 दिनांक–27.01.2023 द्वारा कमियों का उल्लेख करते हुए सूचना/अभिलेख उपलब्ध करानें का निर्देश दिया गया था, जिसके कम में उ0प्र0 शासन द्वारा लागयी गयी आपत्तियों का निराकरण करनें हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–1714/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–04.02.2023 द्वारा प्रस्तावक विभाग से अनुरोध किया गया। प्रस्तावक विभाग (अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन, कारपोरेशन लि0, गाजीपुर) के कार्यालय का पत्रांक–324/वि0प्रे0ख0–गा0 दिनांक–27.02.2023 द्वारा आपत्तियों का निराकरण करते हुए, वांछित अभिलेख के साथ आख्या/रिपोर्ट इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है। प्रस्तावक विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या/रिपोर्ट के अनुसार आपत्ति का निराकरण निम्नानुसार हैः–

क्र0 सं0	आपत्ति	निराकरण
1	2	3
1	प्रस्ताव में पूर्व लीज अवधि की कोई देयता अवशेष तो नहीं है ? क्या शर्तो का अनुपालन पूर्ण किया गया है ?	प्रस्ताव में पूर्व लीज अवधि की कोई देयता अवशेष नहीं है। प्रश्नगत लीज अवधि दिनांक–01.10.2019 को समाप्त हो चुकी है। लीज समाप्ति के पश्चात भी नये सर्किल दर के अनुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा वर्ष 2022–23 तक के लीज रेंट का भुगतान किया जा चुका है। प्रस्तावक विभाग द्वारा सभी शर्तो का अनुपालन किया गया है।
2	पूर्व लीज में 19.968हे0 वन भूमि (20 वर्षो) हेतु उल्लिखित है, जबकि नवीनीकरण के समय 7.5118हे0 वनभूमि 37 वर्षो की लीज पर मांगे जाने का औचित्य क्या है ? स्पष्ट किया जाय।	400 के0वी0 ओबरा लीoलो विद्युत पारेषण लाईन का पूर्व में स्वीकृत लीज में धारा 4 में विज्ञापित भूमि को वन भूमि मानते हुए कुल 19.968हे0 क्षेत्र का प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किया गया था, तत्क्रम में भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार द्वारा 19.968हे0 क्षेत्र को 20 वर्ष के लिए लीज पर दिया गया। अवगत कराना है कि धारा 4 में विज्ञापित क्षेत्र के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक–20.11.1986 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में हुए सर्वे सेटिलमेन्ट की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात विज्ञप्ति संख्या–1136/81-2-2020-20(5)-2019 दिनांक 15.06.2020 द्वारा ग्राम–बिल्ली मारकुण्डी में धारा 20 की अधिसूचना निर्गत किया जा चुका है। ग्राम–बिल्ली मारकुण्डी में धारा 20 की अधिसूचना के अनुसार 400 के0वी0 ओबरा ली0लो विद्युत पारेषण लाईन में ग्राम–बिल्ली मारकुण्डी में 7.5118हे0 वन भूमि प्रभावित हो रहा है। पुष्टि हेतु संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति संलग्न है। प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि 400 के0वी0 जौनपुर ओबरा लाईन के निर्माण में 400 के0वी0 उपकेन्द्र जौनपुर से चोपन तक पारेषण लाईन मैं0 अडानी द्वारा निर्माण किया गया है। उक्त लाईन में इस 400 के0वी0 ओबरा ली0लो0 विद्युत पारेषण लाईन को जोड़ा गया है। मैं0 अडानी द्वारा निर्मित किये गये पारेषण लाईन में लीज 36 वर्षो के लिए प्रक्रियाधीन है। अतः उपरोक्त दृष्टिगत 400 के0वी0 ओबरा लीलो विद्युत पारेषण लाईन का लीज नवीनीकरण 37 वर्षो के लिए प्रस्तावित किया गया है।

1	2	3
3	समतुल्य गैर वन भूमि (प्रस्तावित वन भूमि) उपलब्ध कराये जाने की वचनबद्धता स्पष्ट नहीं है ?	प्रस्तावक विभाग द्वारा समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराये जाने की वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है। जिसकी प्रति संलग्न है।
4	प्रस्तावित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग पर दिये जाने हेतु भी शर्ते अधिरोपित की जायेगी, उसका अनुपालन किये जाने की वचनबद्धता उपलब्ध करायी जाय।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग पर दिये जाने हेतु अधिरोपित शर्त का अनुपालन करनें हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है। जिसकी प्रति संलग्न है।
5	प्रस्तावित स्थल इको–सेन्सटिव जोन की सीमा में न होने का स्पष्ट प्रमाण पत्र (दूरी का अंकन किया जाय) उपलब्ध कराया जाय।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित स्थल इको–सेन्सटिव जोन की सीमा से 01 किमी0 से बाहर होने का प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है। छायाप्रति संलग्न है।
6	प्रस्तावित वन भूमि 20 वर्षो हेतु ही दिया जाना है, से सम्बन्धित वचनवद्धता उपलब्ध करायी जाय।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि 37 वर्षो के लिए किया जाय। जिसके सम्बन्ध में लीज अवधि प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है। जिसकी प्रति संलग्न है।
7	पृष्ठ 12 पर प्रस्तावित वन भूमि 7.518हे0 है, जबकि अन्य प्रमाण पत्रों पर 7.5118हे0 है ? स्पष्ट किया जाय।	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 12 पर त्रुटिवश 7.518हे0 अंकित हो गया है जबकि लीज नवीनीकरण में 7.5118हे0 क्षेत्र प्रस्तावित है, जो कि अन्य प्रमाण पत्रों पर उल्लेख किया गया है।
8	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन के कार्यलय ज्ञाप दिनांक–10.01.2023 द्वारा गठित परियोजना जांच समिति की संस्तुति के साथ प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय।	प्रभाग स्तर से वांछित नहीं है।

अतः उ0प्र0 शासन द्वारा लगायी गयी आपत्ति का उपरोक्तानुसार निराकरण करते हुए, वांछित सूचना/अभिलेख की चार प्रतियां संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सूचना/अभिलेख की तीन प्रति उच्च स्तर पर प्रेषित करनें की कृपा करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अनुराग प्रियदर्शी)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा सोनभद्र के कार्यालय का पत्रांक–1753/ ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–11.01.2021 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में दिनांक–05.06.2021 को 400 के0वी0 ओबरा ली0लो विद्युत पारेषण लाईन का संयुक्त निरीक्षण किया गया। जिसमें पाया गया कि 400 के0वी0 ओबरा ली0लो विद्युत पारेषण लाईन का निर्माण हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या–8बी/ 04/1692/98/एफ0सी0 दिनांक–08.03.1999 तत्क्रम में उप सचिव उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या– जी0आई–322/14–2–99/700(2)/97 दिनांक–01.10.1999 द्वारा 20 वर्षो के लिए उ0प्र0 पावर ट्रांशमिशन कारपोरेशन लि0 वाराणसी को लीज पर हस्तान्तरित की गयी थी, जिसकी लीज अवधि दिनांक–02.10.2019 को समाप्त हो चुकी है। जिसका लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव ''परिवेश'' पोर्टल के माध्यम से (प्रस्ताव संख्या–FP/UP/TRANS/44753/ 2020) दिनांक–22.07.2020 को आवेदन किया गया तथा अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड, गाजीपुर के कार्यालय का पत्रांक–07/वि0प्रे0खं0–गा0/ दिनांक– 04.01.2021 को प्रस्ताव हार्ड कापी में प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा के कार्यालय में प्रेषित किया गया। 400 के0वी0 ओबरा ली0लो विद्युत पारेषण लाईन का पूर्व में स्वीकृत लीज में धारा 4 में विज्ञापित भूमि को वन भूमि मानते हुए कुल 19.968हे0 क्षेत्र का प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किया गया था, तत्क्रम में भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार द्वारा 19.968 हे0 क्षेत्र को 20 वर्ष के लिए लीज पर दिया गया। अवगत कराना है कि धारा 4 में विज्ञापित क्षेत्र के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक–20.11.1986 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में हुए सर्वे सेटिलमेन्ट की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात विज्ञप्ति संख्या–1136/81-2-2020-20(5)-2019 दिनांक 15.06.2020 द्वारा ग्राम–बिल्ली मारकुण्डी में धारा 20 की अधिसूचना निर्गत किया जा चुका है। ग्राम–बिल्ली मारकुण्डी में धारा 20 की अधिसूचना के अनुसार 400 के0वी0 ओबरा लीलो विद्युत पारेषण लाईन में ग्राम–बिल्ली मारकुण्डी में 7.5118हे0 वन भूमि प्रभावित हो रहा है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

क0सं0	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल
1	बिल्ली मारकुण्डी	6010/6013/6014	0.3453
2	बिल्ली मारकुण्डी	5924	0.1454
3	बिल्ली मारकुण्डी	6221मि0	4.7087
4	बिल्ली मारकुण्डी	5116	0.7521
5	बिल्ली मारकुण्डी	5511मि0,5504	0.1723
6	बिल्ली मारकुण्डी	5586मि0, 5587, 5631	0.5252
7	बिल्ली मारकुण्डी	2327ख	0.6120
8	बिल्ली मारकुण्डी	2328ख	0.2508
	योगः–		7.5118हे0

अतः 400 के0वी0 ओबरा ली0लो0 विद्युत पारेषण लाईन का पूर्व में स्वीकृत लीज 19.968हे0 के स्थान पर, धारा 20 की अधिसूचना के अनुसार वर्तमान में 7.5118हे0 वन भूमि प्रभावित हो रहा है, जिसका लीज नवीनीकरण किया जाना है।

(रमेश कुमार पाण्डेय)
वन रक्षक / बीट प्रभारी, डाला।

(त्रिलोकी दूबे)
वन दरोगा/सेक्शन प्रभारी, चोपन।

(राम कुमार)
अवर अभियन्ता
वि0प्रे0 उपखण्ड, III
राबर्टसगंज।

(राजेश कुमार सोनकर)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
डाला।

छायाप्रति प्रमाणित

प्रभागीय वन अधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा–सोनभद्र

(एस0 [illegible] सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड
उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
गाजीपुर

(आलोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
विद्युत प्रेषण उपखण्ड
[illegible] कारपोरेशन लिमिटेड

प्रभागीय वन अधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा–सोनभद्र

वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग पर दिए जाने हेतु वचन बद्धता पमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ओबरा वन प्रभाग के डाला एवं ओबरा रेंज के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद (वर्तमान में उ0प्र0 पावर ट्रा0का0लि0) को भारत सरकार के पत्र सं0 8B/04/1692/98/FC दिनांक 08.03.1999 एवं इसके कम में संयुक्त सचिव उ0प्र0 शासन का आदेश सं0 जी0आई0 322/14.02.1999/700(2)/97 दिनांक 01.10.1999 द्वारा 400 के0वी0 लीलो ओबरा विद्युत पारेषण लाइन के निर्माण हेतु 19.968 हे0 वन भूमि 20 वर्षो के लीज पर हस्तान्तरित की गयी थी। जिसके दौरान सन् 1998 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 19.968 हे0 गैर वनभूमि प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग मिर्जापुर को उपलब्ध करायी गयी थी एवं उक्त 19.968 हे0 गैर वन भूमि पर क्षतिपूक वृक्षारोपण हेतु धनराशि रू0 8,55,968.00 (रू0 आठ लाख पचपन हजार नौ सौ अड़सठ मात्र) (चेक सं0 751375 दिनांक 23.11.1998) को प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग को उपलब्ध करायी गयी थी। उक्त लीज अवधि दिनांक 01.10.2019 को समाप्त हो चुकी है। वर्तमान में उ0प्र0 पावर ट्रा0का0लि0 को 400 के0वी0 लीलो ओबरा विद्युत पारेषण लाइन के निर्माण हेतु दी गयी 19.968 हे0 (धारा–4 को वन भूमि मानते हुए) वन भूमि धारा 20 की अधिसूचना के अनुसार 19.968 हे0 के बजाय 7.5118 हे0 है। वर्तमान में उक्त लाइन में प्रभावित होने वाली 7.5118 हे0 वन भूमि को पुनः 37 वर्षो के लीज पर किये जाने की आवश्यकता है। भारत सरकार द्वारा वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग पर दिये जाने के सम्बन्ध में जो भी शर्तें लगायी जायेगी उसका अनुपालन हेतु प्रस्तावक विभाग वचनबद्धता प्रस्तुत करता हूँ।

28.02.2023

उपखण्ड अधिकारी
वि0प्रे0 उपखण्ड तृतीय राबर्ट्सगंज

अधिशासी अभियन्ता
वि0प्रे0ख0–गाजीपुर

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड
220 के0वी0 उपकेन्द्र तलवल
गाजीपुर

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वन अधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा–सोनभद्र

पूर्व में उपलब्ध करायी गयी क्षतिपूरक वनीकरण हेतु समतुल्य गैर वन भूमि हस्तान्तरण/क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि संम्बन्धि प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ओबरा वन प्रभाग के डाला एवं ओबरा रेंज के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद (वर्तमान में उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0) को भारत सरकार के पत्र सं0 8B/04/1692/98/FC दिनांक 08.03.1999 एवं इसके कम में संयुक्त सचिव उ0प्र0 शासन के आदेश सं0 जी0आई0 322/14.02.1999/700(2)/97 दिनांक 01. 10 1999 द्वारा 400 के0वी0 लालो ओबरा विद्युत पारेषण लाइन के निर्माण हेतु 19.968 हे0 वन भूमि 20 वर्षो के लीज पर हस्तान्तरित की गयी थी। जिसके दौरान सन् 1998 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 19.968 हे0 गैर वनभूमि प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग मिर्जापुर को उपलब्ध करायी गयी थी एवं उक्त 19.968 हे0 गैर वन भूमि पर क्षतिपूक वृक्षारोपण हेतु धनराशि रू0 8,55,968.00 (रू0 आठ लाख पचपन हजार नौ सौ अड़सठ मात्र) (चेक सं0 751375 दिनांक 23.11.1998) को प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग को उपलब्ध करायी गयी थी। उक्त लीज अवधि दिनांक 01.10.2019 को समाप्त हो चुकी है। वर्तमान में उ0प्र0 पावर ट्रा0का0लि0 को 400 के0वी0 लीलो ओबरा विद्युत पारेषण लाइन के निर्माण हेतु दी गयी 19.968 हे0 (धारा–4 को वन भूमि मानते हुए) वन भूमि धारा 20 की अधिसूचना के अनुसार 19.968 हे0 के बजाय 7.5118 हे0 है। वर्तमान में उक्त लाइन में प्रभावित होने वाली 7.5118 हे0 वन भूमि को पुनः 37 वर्षो के लीज पर किये जाने की आवश्यकता है। भारत सरकार द्वारा समतुल्य गैर वन भूमि (प्रभावित वन भूमि) उपलब्ध कराये जाने हेतु जो भी शर्ते लगायी जायेगी इसका अनुपालन हेतु वचनबद्धता प्रस्तुत करता हूँ

27.02.2023

उपखण्ड अधिकारी
वि0प्रे0 उपखण्ड तृतीय राबर्ट्सगंज

उप खण्ड अधिकारी
विद्युत प्रेषण उप खण्ड तृतीय
राबर्ट्सगंज

अधिशासी अभियन्ता
वि0प्रे0ख0–गाजीपुर

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड
220 के०बी० उपकेन्द्र तलवल
गाजीपुर

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वन अधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा–सोनभद्र

वन्य जीव अभ्यरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ओबरा वन प्रभाग के डाला रेंज के अन्तर्गत उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद (वर्तमान में उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0) को भारत सरकार के पत्र संख्या–8बी/04/1962/98/एफ0सी0 दिनांक–08.03.1999 एवं इसके कम में संयुक्त सचिव उ0प्र0 शासन का आदेश संख्या जी0आई0 322/14–2–99–700(2)97 दिनांक–01.10.1999 द्वारा 400के0वी0 ली0लो0 ओबरा विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 19.968हे0 वन भूमि 20 वर्षो की लीज पर हस्तान्तरित की गयी थी, जिसकी लीज अवधि दिनांक–01.10.2019 को समाप्त हो चुकी है। वर्तमान में उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 को 400के0वी0 ली0लो0 ओबरा विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु दी गयी 19.968हे0 (धारा 4 में अधिसूचित भूमि को वन भूमि मानते हुए) वन भूमि धारा 20 की अधिसूचना के अनुसार 19.968हे0 के बजाय 7.5118हे0 है। वर्तमान में उक्त लाईन में प्रभावित होने वाली 7.5118हे0 वन भूमि को पुनः 37 वर्षो के लीज पर किये जानं की आवश्यकता है। प्रस्तावित स्थल कैमूर वन्य जीव के इको सेन्सिटिव जोन, जो 1 किमी0 अधिसूचित है, की परिधि से बाहर है।

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड, गाजीपुर
उ0 प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा–सोनभद्र

छायाप्रति प्रमाणित

प्रभागीय वन अधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा–सोनभद्र

47

लीज अवधि प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ओबरा वन प्रभाग के डाला एंव ओबरा रेंज के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद(वर्तमान में उ.प्र. पावर ट्रांन्समिशन कारपोरेशन लि.) को भारत सरकार के पत्र संख्या– 8B/04/1692/98/FC दिनांक– 08.03.1999 एवं इसके क्रम में संयुक्त सचिव उ.प्र. शासन का आदेश संख्या– जी.आई. 322/14–2–99–700(2) 97 दिनांक –01 अक्टूबर 1999 द्वारा 400 के0वी0 लीलो ओबरा विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 19.968 हे. वन भूमि 20 वर्षो के लीज पर हस्तान्तरित की गयी थी। जिसकी लीज अवधि दिनांक–01.10.2019 को समाप्त हो चुकी है। वर्तमान मे उ.प्र. पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि. को 400 के0वी0 लीलो ओबरा विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु दी गयी 19.968 हे. (धारा–4 को वन भूमि मानते हुए) वन भूमि धारा 20 की अधिसुचना के अनुसार 19.968 हे0 के बजाय 7.5118 हे0 है। वर्तमान मे उक्त लाइन में प्रभावित होने वाली 7.5118 हे0 वन भूमि को पुनः 37 वर्षो के लीज पर किये जाने की की आवश्यकता है।

अधिशासी अभियन्ता
Executive Engineer
विद्युत पारेषण खण्ड गाजीपुर
Electricity Transmission Division
U.P. Power Transmission Corp. Ltd.
Ghazipur
उ.प्र. पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि.

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा–सोनभद्र

छायाप्रति प्रमाणित

प्रभागीय वन अधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा–सोनभद्र